[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क)

अधिसूचना

सं. 52/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांकः 24 जून, 2022

सा.का.नि.....(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन (1) इन विनियमों को सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 में, -

(i) विनियम 20 में, उप-विनियमों (1) और (2) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक सीमा शुल्क ब्रोकर अपने द्वारा संचालित प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालय में सीमा शुल्क ब्रोकर संगठन के सदस्य के रूप में खुद को नामांकित करेगा, यदि सीमा शुल्क स्टेशन में पंजीकृत ऐसा कोई संगठन है, जहां सीमा शुल्क ब्रोकर संचालन कर रहा है और प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(2) कोई भी सीमा शुल्क ब्रोकर किसी विशेष क्षेत्रिय कार्यालय में, एक निश्चित समय में, एक से अधिक संगठन में खुद को नामांकित नहीं करेगा।";

(ii) विनियम 20 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"21. **शिथिल करने की शक्तिः-** जहां कोई आवेदक या कोई सीमाशुल्क ब्रोकर या एनएसीआईएन बोर्ड को इस बात का अभ्यावेदन देता है कि वह या यह, जैसा भी स्थिति हो हो, ऐसे किसी कारण से जो कि उसके नियंत्रण के बाहर है, इन विनियमों में दिए गए किसी प्रावधान में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपने कर्तव्यों या दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, लेकिन

ऐसे प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित अन्य शर्तों, यदि कोई हो, को पूरा करता हो, तो बोर्ड, ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, तथा उन कारणों को लिपिवद्ध करते हुए, ऐसे कर्तव्यों या दायित्वों के अनुपालन के लिए आगे और समयावधि की अनुमति दे सकता है।"

फा.सं. 520/07/2013-सीमाशुल्क VI(खंड III)]

(मनीष कुमार चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- सा.का.नि. 451(अ), दिनांक 14 मई, 2018 के तहत मूल विनियम संख्या 41/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।